विविध बैंक प्रकरण सं0 10/2020 (RCMS 2020/00027) बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम 1 मैसर्स पूनिया ब्रिक्स, चक 2 डीजेएम बी, मुरब्बा नं. 33, पत्थर नं. 224/440, किला नं. 18/0.051 से 22/0.911, 23/0.050, रामसिंहपुर से रायसिंहनगर रोड, श्रीविजयनगर 2. श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री उदाराम, ग्राम ललागढ जाटान, तहसील सादुलशहर 3. श्री विकास कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल 4. श्री पवन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.01.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सौरभ खण्डेलवाल उपस्थित हुए और वकालतनामा एवं दस्तावेज पेश किये। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 24.01.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स पूनिया ब्रिक्स, हेमन्त कुमार, विकास कुमार एवं पवन कुमार को ऋण सुविधा के रूप में खाता संख्या 42060500000186 में 13.50/— लाख रूपये एवं खाता संख्या 42060600000017 में 16.50/— लाख रूपये कुल 30.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 08.04.2013 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी हेमन्त कुमार पुत्र उदाराम मेघवाल की चक 2 डीजेएम बी, मुरब्बा नं. 33, पत्तर नं. 224/440, किला नं. 18/0.051, 19 से 22/0.911, 23/0.050, रामसिहपुर से रायसिंहनगर रोड, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ—मैटेरियल्स, वर्क—इन—प्रोसेस, ऑल स्टॉक्स ऑफ गुड्स जैसे सेमी—फिनिश्ड गुडस एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर पैकिंग मैटेरियल, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, फैसिलिटीज एण्ड मशीनरी व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्सड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनके उक्त ऋण खाते दिनांक 27.02.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 31.03.2019 को 18,62,033/–रूपये (खाता संख्या 42060500000186 में 14,45,662/– एवं खाता संख्या 42060600000017 में 4,16,371/– कुल 18,62,033/–रूपये) ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 08.04.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.04.2019 को भिजवाये गये है एवं मै. पूनिय ब्रिक्स –प्रो. विकास कुमार, हेमन्त कुमार एवं विकास कुमार के नोटिस 13(2) पर स्वयं के हस्ताक्षर है एवं पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद पर अप्रार्थी पवन कुमार के स्वयं के हस्ताक्षर है इस प्रकार अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी हेमन्त कुमार पुत्र उदाराम मेघवाल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पति चक 2 डीजेएम बी, मुरब्बा नं. 33, पत्तर नं. 224/440, किला नं. 18/0.051, 19 से 22/0.911, 23/0.050, रामसिहपुर से रायसिंहनगर रोड, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, वर्क–[illegible]स, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुडस एवं फिनिश्ड गु[illegible] ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर पैकिंग मैटेरियल, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल्स, [illegible]बल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्सड असेट्स,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स पूनिया ब्रिक्स, हेमन्त कुमार, विकास कुमार एवं पवन कुमार को खाता संख्या 42060500000186 में 13.50/— लाख रूपये एवं खाता संख्या 42060600000017 में 16.50/— लाख रूपये कुल 30.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 08.04.2013 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी हेमन्त कुमार पुत्र उदाराम मेघवाल की उक्त अचल सम्पत्ति चक 2 डीजेएम बी, मुरब्बा नं. 33, पत्तर नं. 224/440, किला नं. 18/0.051, 19 से 22/0.911, 23/0.050, रामसिहपुर से रायसिंहनगर रोड, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ—मैटेरियल्स, वर्क—इन—प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी—फिनिश्ड गुडस एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर पैकिंग मैटेरियल, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्सड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **27.02.2019** को अनर्जक [illegible] (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों** को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक **12.04.2019** (नोटिस पर अंकित दिनांक 08.04.2019) को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है, जिसकी रसीद की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी मैसस पूनिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ब्रिक्स, हेमन्त कुमार एवं विकास कुमार के धारा 13(2) के नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है। जिनकी प्रतियां पत्रावली मे उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **सम्पत्ति** चक 2 डीजेएम बी, मुरब्बा नं. 33, पत्तर नं. 224/440, किला नं. 18/0.051, 19 से 22/0.911, 23/0.050, रामसिहपुर से रायसिंहनगर रोड, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, वर्क–इन–प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुडस एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर पैकिंग मैटेरियल, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्सड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि **जो ऋणी हेमन्त कुमार के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है,** का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 08.04.2019 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 08.04.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स पूनिया ब्रिक्स, हेमन्त कुमार, विकास कुमार एवं पवन कुमार को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.04.2019 को जारी किये गये है, परिणास्वरूप पोस्ट ऑफिस की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है किन्तु नोटिस प्राप्ति की पोस्ट ऑफिस की वितरण रसीद पर पवन कुमार के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने 13(2) के नोटिस जिस पर अप्रार्थीगण मैसर्स पूनिया ब्रिक्स, हेमन्त कुमार, विकास कुमार स्वयं के हस्ताक्षर है, की प्रति पेश की है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस की तामील हो चुकी है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक** की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी हेमन्त कुमार की सम्पत्ति चक 2 डीजेएम बी, मुरब्बा नं. 33, पत्तर नं. 224/440, किला नं. 18/0.051, 19 से 22/0.911, 23/0.050, रामसिहपुर से रायसिंहनगर रोड, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ—मैटेरियल्स, वर्क—इन—प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी—फिनिश्ड गुडस एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर पैकिंग मैटेरियल, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्सड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01..2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी हेमन्त कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई सम्पत्ति चक 2 डीजेएम बी, मुरब्बा नं. 33, पत्तर नं. 224/440, किला नं. 18/0.051, 19 से 22/0.911, 23/0.050, रामसिहपुर से रायसिंहनगर रोड, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर स्थित सम्पत्ति (क्षेत्रफल 10120 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ—मैटेरियल्स, वर्क—इन—प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी—फिनिश्ड गुडस एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर पैकिंग मैटेरियल, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्सड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested